भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3577

(सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

केरल में निष्क्रिय काजू प्रसंस्करण कंपनियाँ

3577. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल, विशेषकर कोल्लम और अलप्पुझा जिलों में, बड़ी संख्या में पंजीकृत निजी लिमिटेड काजू प्रसंस्करण कंपनियाँ गंभीर वित्तीय बाधाओं, कार्यशील पूंजी की कमी और घटती निर्यात प्रतिस्पर्धा के कारण निष्क्रिय हो गई हैं या बंद पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसी निष्क्रिय या गैर-दाखिल निजी काजू कंपनियों का ब्यौरा मौजूद है;

(ग) यदि हां, तो केरल में चिह्नित की गई ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है और औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनका पुनरुद्धार करने और पुनर्एकीकरण हेतु क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार ऐसी निष्क्रिय काजू प्रंसस्करण इकाइयों का पुनरुद्धार करने के लिए विशेष ऋण पुनर्गठन तंत्र, पुनः सक्रियण के लिए सरलीकृत अनुपालन राहत, या क्लस्टर-आधारित विकास के लिए बड़े उद्योगों के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों के लिए ही नहीं, बल्कि इनके अलावा भी लक्षित हस्तक्षेप करने की योजना बना रही है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): काजू प्रसंस्करण कंपनियों का पंजीकरण एमसीए-21 के अंतर्गत अनुरक्षित कंपनी कोड के निगमन के अंतर्गत विशिष्ट रूप से शामिल नहीं है। यद्यपि, केरल और विशेष रूप से कोल्लम और अलपुझा जिलों में, एमसीए-21 पोर्टल पर "खाद्य मेवों की खेती" और "खाद्य मेवों के प्रसंस्करण" के लिए निगमन कोड के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है: -

विवरण	**केरल**	**कोल्लम जिला**	**अलाप्पुझा जिला**
कुल पंजीकृत की गई	129	8	9
सक्रिय	62	5	1
ई-फाइलिंग के लिए निष्क्रिय	1	0	1
हटाई गई	58	3	1
धारा 455 के तहत निष्क्रिय	1	0	0
परिसमापन के तहत	2	0	1
निपटायी गई (परिसमाप्त)	5	0	5

(ख) से (घ): उपर्युक्त उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

*****